वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 22.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, " समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 22.07.2024

होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस को अवैध बता खाली करने का नोटिस

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने रविवार को वरुणा नदी से 50 मीटर के अंदर डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बने दो होटलों बनारस कोठी और रिवर पैलेस को खाली करने का नोटिस दिया। दोनों होटलों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है और जलकल महाप्रबंधक को पत्र लिखकर पानी, सीवर लाइन कनेक्शन काटने के लिए कहा गया है। सिकरौल वार्ड के अवर अभियंता अतुल मिश्रा ने होटल संचालक मोहम्मद जाफर अली खां के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है।

> दोनों होटलों का मानचित्र स्वीकृत नहीं है। वरुणा के किनारे से 50 मीटर के अंदर डूब क्षेत्र में निर्माण होने पर 2015 में दोनों होटलों को सील किया गया था। संचालक पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।
>
> -पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए

> बिजली का एक रुपये बिल भी बकाया नहीं है। वीडीए के पत्र पर बिजली विभाग ने होटलों का कनेक्शन क्यों काटा, समझ में नहीं आ रहा है। वीडीए मनमानी कर रहा है।
>
> -मोहम्मद जाफर खान, होटल संचालक

वीडीए ने आठ साल पहले भी छावनी स्थित बुद्ध विहार कालोनी में बने इन दोनों होटलों को सील किया था। इसके बावजूद वे संचालित हो रहे थे।

वरुणा नदी के किनारे से 50 मीटर दायरे में अवैध निर्माण को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जिला प्रशासन संग मिलकर वीडीए टीम ने डूब क्षेत्र में 762 अवैध निर्माण चिह्नित किए हैं। वीडीए ने 13 फरवरी-2015 और 23 नवंबर-2015 को भी दोनों होटलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सील कर दिया था। होटल संचालक ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की थी, लेकिन राहत नहीं मिली।

बिजली कनेक्शन काटने को लेकर होटलकर्मियों ने की नोकझोंक » 6

अमर उजाला–दि0 22.07.2024

होटल रिवर पैलेस पर दर्ज कराया गया केस

वाराणसी। अवैध होटल संचालन के मामले में रविवार को कैंट थाने में होटल रिवर पैलेस के खिलाफ वीडीए के अवर अभियंता अतुल मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया। वीडीए के अनुसार सिकरौल वार्ड में मोहम्मद जाफर अली की ओर से होटल का निर्माण कराया जा रहा था। पूर्व में नोटिस दिया गया था। पूर्व में अवैध निर्माण कर होटल संचालन मामले में सील की कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसके बावजूद सील को तोड़कर अवैध निर्माण स्थल पर होटल संचालन किया जा रहा है। सील तोड़कर होटल का संचालन कराने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। ब्यूरो

हिन्दुस्तान– 22.07.2024

शासन ने वाराणसी सहित सभी नव विस्तारित प्राधिकरणों को इस बाबत आदेश जारी किया

वीडीए में शामिल नवीन गांवों का अंतरिम मास्टर प्लान से विकास

कवायद

215 गांव शामिल किए गए हैं वीडीए की सीमा में

1016 वर्ग किमी हो गया बढ़कर क्षेत्रफल

- गांवों को जोन में बांटने और नियोजन के लिए सर्वे हुआ शुरू
- मास्टर प्लान-2031 के संशोधित होने तक इसी प्लान से काम

वाराणसी, विशेष संवाददाता। वीडीए अपनी सीमा में शामिल 215 नए गांवों का अंतरिम मास्टर प्लान बनाने जा रहा है। प्रदेश शासन ने इस सम्बंध में वाराणसी सहित सभी नव विस्तारित प्राधिकरणों को निर्देश दिया है। अगला नया मास्टर प्लान बनने तक इसी अंतरिम मास्टर प्लान के जरिए विकास और नियोजन होगा। वीडीए ने इसके लिए सर्वे भी शुरू करा दिया है।

सीमा विस्तार से पूर्व 788 वर्ग किमी में फैले वीडीए में महायोजना-2031 लागू है। 215 गांवों के शामिल होने के बाद अब यह दायरा 1016 वर्ग किमी का हो गया है। चूंकि अगली नई महायोजना-2051 अगले 20 वर्षों बाद लागू होगी, इसलिए 278 वर्ग किमी के नए दायरे में नियोजन और विकास के लिए अंतरिम महायोजना तैयार की जाएगी। प्राधिकरण ने गांव वार सर्वे शुरू करा दिया है। इसमें नव विकसित, विकासशील, बाजार, कृषि सहित विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण होगा।

अधिकारियों के मुताबिक नए शामिल गांवों के ज्यादातर हिस्सों में लैंड यूज कृषि है। यदि कुछ इलाके नवविकसित और विकासशील की श्रेणी में आते हैं तो उनके लैंड यूज को आगामी महायोजना में बदला जा सकता है।

बढ़ेगी जोन और वार्डों की संख्या

नए इलाकों में अंतरिम मास्टर प्लान के साथ-साथ जोनल प्लान भी बनेगा। जोनल स्तर पर रास्ते भी तय हो जाएंगे ताकि भवन निर्माण में कोई असमंजस न दिखे। करीब 35 फीसदी क्षेत्रफल में प्राधिकरण का दायरा बढ़ने के बाद अब इन इलाकों की निगरानी के लिए जोन और वार्ड भी बढ़ा जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक नये गांव शामिल होने का शासनादेश प्राप्त होने के बाद ये प्रक्रियाएं शुरू करा दी जाएंगी।

> नए शामिल गांवों में नियोजन के लिए एक अंतरिम महायोजना बनानी होगी। उससे आगामी कार्ययोजना बनाने में आसानी होगी। इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है।
>
> -प्रभात कुमार, [illegible]-वीडीए

चक्कर लगाने से अब मिलेगी राहत

अधिकारी के मुताबिक नये इलाकों का अंतरिम मास्टर प्लान बनाने बाद उसे सजरा नक्शा पर इम्पोज कर दिया जाएगा। तब भूस्वामियों को अपनी जमीन का लैंड यूज जानने के लिए वीडीए का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्हें सभी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी।